सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन
2016-17

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	2–3
2.	रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग का परिदृश्य	4–15
3.	योजनागत स्कीमें	16–19
4.	पीसीपीआईआर	20–24
5.	पेट्रोरसायन की नई योजनाएं	25–27
6.	अन्तर्राष्ट्रीय समझौतें एवं संधियां	28–29
7.	भोपाल गैस रिसाव त्रासदी	30–35
8.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	36–44
9.	स्वायत्त संस्थान	45–65
10.	संवर्द्धन गतिविधियां एवं प्रमुख घटनाएं	66–70
11.	सामान्य प्रशासन	71–79

अनुबंध

I	उत्पाद–वार स्थापित क्षमता और प्रमुख रसायनों का उत्पादन	80–83
II	उत्पाद–वार स्थापित क्षमता और प्रमुख पेट्रोरसायनों का उत्पादन	84–87
III	संगठन चार्ट	88

अध्याय – 1

प्रस्तावना

1.1 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी) का उद्देश्य है:

i. देश में रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र के वृद्धि एवं विकास के लिए नीतियां व कार्यक्रम बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना; और

ii. उद्योग के उपर्युक्त क्षेत्रों के चतुर्दिक विकास के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी का माहौल बनाना।

1.2 विभाग को निम्नांकित व्यापक विषय–वस्तुओं से संबंधित कार्य को निष्पादित करने का अध्यादेश है :–

i. कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) के प्रशासन को छोड़कर कीटनाशक

ii. मोलासिस

iii. मोलासिस से अल्कोहल–औद्योगिक और पेय पदार्थ तैयार करना

iv. डाईस्टफ और डाई मध्यवर्ती

v. सभी कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, जो किसी अन्य विभाग या मंत्रालय को नहीं सौंपे गए हों

vi. विभाग द्वारा देखे जा रहे सभी उद्योगों का नियोजन, विकास और उनकी सहायता

vii. भोपाल गैस रिसाव त्रासदी – उससे संबंधित विशेष कानून

viii. पेट्रोरसायन

ix. गैर–सेल्युलोज सिंथेटिक फाइबर, (नाइलोन, पॉलिस्टर, एक्रीलिक इत्यादि) के उत्पादन से संबंधित उद्योग

x. सिंथेटिक रबड़ और

xi. प्लास्टिक के फेब्रिकेशन सहित प्लास्टिक और मोल्डिड सामग्री।

1.3 विभाग के चार प्रमुख प्रभाग हैं – रसायन, पेट्रोरसायन, योजना एवं कार्मिक और सांख्यिकी एवं निगरानी (एसएंडएम)। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में तीनों विभागों का एक ही आंतरिक वित्त प्रभाग है। रसायन सेक्टर में तीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयूज) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. (एचओसीएल), हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि. (एचआईएल) तथा हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि. (एचएफएल) हैं जोकि एचओसीएल की सहायक कंपनी और पेट्रोरसायन क्षेत्र में एक सीपीएसयू अर्थात

ब्रह्मपुत्र क्रैकर और पॉलीमर लि. (बीसीपीएल) हैं। इस विभाग के अधीन सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) और इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड्स फार्मूलेशन एंड टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी) नामक स्वायत्त संस्थान हैं।

1.4 श्री अनन्त कुमार रसायन तथा उर्वरक मंत्री हैं और श्री मनसुख एल. मांडविया राज्य मंत्री हैं। **श्री अनुज कुमार बिश्नोई** विभाग के सचिव हैं।

*****

अध्याय – 2

रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग का परिदृश्य

रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग :

2.1 रसायन उद्योग एक ज्ञान उन्मुख एवं पूंजी गहन उद्योग है। रसायन उद्योग, बढ़ते भारतीय उद्योग का एक अभिन्न अवयव है। इसमें मूल रसायन एवं इसके उत्पाद, पेट्रोरसायन, उर्वरक, कीटनाशक, पेंट्स, वार्निश, गैस, साबुन, परफ्यूम एंव टॉयलेटरीज और औषध शामिल हैं। यह उद्योग हजारों वाणिज्यिक उत्पादों को शामिल करते हुए सभी औद्योगिक क्षेत्रों में सबसे विविधपूर्ण है। यह उद्योग मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने तथा जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उद्योग देश के औद्योगिक एवं कृषि विकास का मेरूदंड है तथा कई डाउनस्ट्रीम उद्योगों जैसे वस्त्र, कागज, पेंट, वार्निश, साबुन, डिटर्जेंट, औषधि आदि के लिए मूलभूत सामग्री प्रदान करता है।

2.2 राष्ट्रीय आद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) 2008 के अनुसार, रसायन एवं रसायनिक उत्पाद उद्योग खंड 20 के अंतर्गत शामिल हैं। इस खंड में 4–अंक स्तर पर उत्पाद समूहों का विवरण निम्नानुसार हैः–

तालिका 1 – उत्पाद समूह का विवरण

श्रेणी	विवरण
2011	मूल रसायनों का विनिर्माण
2012	उर्वरक व नाइट्रोजन कंपाउन्ड का विनिर्माण
2013	प्राथमिक रूप में प्लास्टिक एवं सिंथेटिक रबड़ का विनिर्माण
2021	कीटनाशक एवं अन्य कृषि रसायनों उत्पादों का विनिर्माण
2022	पेंट, वार्निश एवं समान कोटिंग्स, प्रिंटिंग स्याही एवं मास्टिक्स का विनिर्माण
2023	साबुन एवं डिटर्जेंट, क्लीनिंग एवं पॉलिशिंग तैयारी, परफ्यूम एवं टायलेट प्रिपरेशन का विनिर्माण
2029	अन्य रसायनिक उत्पादों का विनिर्माण
2030	मानव निर्मित फाइबर का निर्माण

एनआईसी 2004 के औद्योगिक प्रभाग 24, एनआईसी 2008 के औद्योगिक प्रभाग 20 (रसायन एवं रसायनिक उत्पाद विनिर्माण), 21 (औषध, चिकित्सा रसायन एवं पादप उत्पादों के विनिर्माण) तथा 268 (मैग्नेटिक एवं ऑप्टिकल मीडिया के विनिर्माण) के समकक्ष है।

2.3 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2016 के अनुसार, रसायन एवं रासायनिक उत्पाद (एनआईसी 2008 का उद्योग खण्ड 20 एवं 21)

वर्ष 2013–14 में 2.34% की तुलना में वर्ष 2014–15 में सकल मूल्य वर्द्धन (जीवीए) का 2.33% (2011–12 के मूल्य पर) था। वर्ष 2011–12 के मूल्य पर विनिर्माण क्षेत्र में इस क्षेत्र की सकल मूल्य वर्द्धन में हिस्सेदारी वर्ष 2013–14 में 13.43% की तुलना में 2014–15 के दौरान 13.60% था। औद्योगिक उत्पा्दन के सूचकांक के तत्काल अनुमानों के अनुसार रसायन और रसायन उत्पादों में संचयी वृद्धि (एनआईसी 2004 का उद्योग खंड 24) 2015–16 में 143.5 था जोकि गत वर्ष की तुलना में 3.8ः अधिक है। भारतीय रसायन उद्योग (एनआईसी 2008 के उद्योग खंड 20 एवं 21) का आकार उत्पादन के मूल्य के संदर्भ में वर्ष 2014–15 में 8,33,046 करोड़ रु. था।

2.4 चुनिंदा प्रमुख रसायनों एवं पेट्रोरसायनों का उत्पादन वर्ष 2012–13 से 2016–17 (नवंबर, 2016 तक) के दौरान तालिका–II में प्रस्तुत है। प्रमुख रसायन एवं पेट्रोरसायनों का उत्पादन वर्ष 2015–16 में 16,255 हजार मीट्रिक टन की तुलना में 2016–17 (नवंबर, 2016 तक) में 17,162 हजार मीट्रिक टन था जिससे वृद्धि दर 5.6% रही।

तालिका II चुनिंदा प्रमुख रसायनों एवं पेट्रोरसायनों का उत्पादन

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

समूह	उत्पादन / वृद्धि दर	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2015–16 (अप्रैल 15 से नवंबर 15)	2016–17 (अप्रैल 16 से नवंबर16)
एल्कली केमिकल्स	उत्पादन	**6487**	**6481**	**6625**	**6802**	**4472**	**4636**
	वृद्धि दर (%)	0.1	-0.1	2.2	2.7		3.6
अकार्बनिक रसायन	उत्पादन	**891**	**906**	**944**	**1002**	**661**	**698**
	वृद्धि दर (%)	-0.4	1.7	4.2	6.1		5.6
कार्बनिक रसायन	उत्पादन	**1686**	**1792**	**1619**	**1589**	**1075**	**1057**
	वृद्धि दर (%)	2.8	6.3	-9.7	-1.9		-1.7
पेस्टीसाइड्स (तकनीक)	उत्पादन	**155**	**179**	**186**	**188**	**125**	**142**
	वृद्धि दर (%)	-0.5	15.4	4.0	0.6		13.2
रंजक एवं रंजक पदार्थ	उत्पादन	**240**	**284**	**285**	**304**	**196**	**207**
	वृद्धि दर (%)	-0.6	18.4	0.6	6.6		5.4
कुल प्रमुख रसायन	उत्पादन	**9459**	**9643**	**9660**	**9884**	**6530**	**6740**
	वृद्धि दर (%)	0.5	1.9	0.2	2.3		3.2
सिंथेटिक फाइबर	उत्पादन	**3124**	**3144**	**3527**	**3554**	**2362**	**2420**
	वृद्धि दर (%)	0.6	0.6	12.2	0.8		2.5
पोलिमर्स	उत्पादन	**7509**	**7876**	**7558**	**8839**	**5720**	**6155**
	वृद्धि दर (%)	3.6	4.9	-4.0	17.0		7.6
इलास्टोमर्स (सिंथेटिक रबर)	उत्पादन	**96**	**105**	**172**	**242**	**170**	**186**
	वृद्धि दर (%)	-4.2	8.7	64.1	40.8		9.5

समूह	उत्पादन / वृद्धि दर	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2015–16 (अप्रैल 15 से नवम्बर 16)	2016–17 (अप्रैल 16 से नवम्बर 16)
सिंथेटिक डिर्टजेंट मध्यवर्ती	उत्पादन	**627**	**597**	**596**	**566**	**372**	**458**
	वृद्धि दर (%)	0.7	-4.8	-0.1	-5.1		23.2
परफारमेंस प्लास्टिक	उत्पादन	**1691**	**1685**	**1591**	**1700**	**1100**	**1203**
	वृद्धि दर (%)	0.8	-0.4	-5.5	6.9		9.4
कुल प्रमुख पेट्रोरसायन	उत्पादन	**13047**	**13406**	**13443**	**14900**	**9725**	**10423**
	वृद्धि दर (%)	2.3	2.7	0.3	10.8		7.2
कुल प्रमुख रसायन एवं पेट्रोरसायन	उत्पादन	**22507**	**23048**	**23103**	**24783**	**16255**	**17162**
	वृद्धि दर (%)	1.5	2.4	0.2	7.3		5.6

*अनंतिम

नोट : वृहत एवं मध्यम आकार के अंतर्गत विनिर्माताओं से मासिक उत्पादन रिटर्न पर आधारित उत्पादन समाहित है। प्रमुख रसायनों एवं पेट्रोरसायनों की स्थापित क्षमता और उत्पादन का उत्पाद–वार और समूह–वार ब्यौरा क्रमशः अनुबंध – I एवं II में है।

रसायन क्षेत्र – उत्पादन रूझान

2.5 तालिका–II से यह देखा जा सकता है कि प्रमुख रसायनों के कुल उत्पादन का 69% से अधिक हिस्सा एल्काली रसायनों के उत्पादन का है। प्रमुख रसायनों का उत्पादन वर्ष 2015–16 (नवंबर, 2015 तक) 6530 हजार मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2016–17 (नवंबर, 2016 तक) के दौरान 6740 हजार मीट्रिक टन रहा जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि हुई। चुनिन्दा प्रमुख रसायनों के उत्पादन का रूझान चार्ट–I में प्रस्तुत किया गया है।

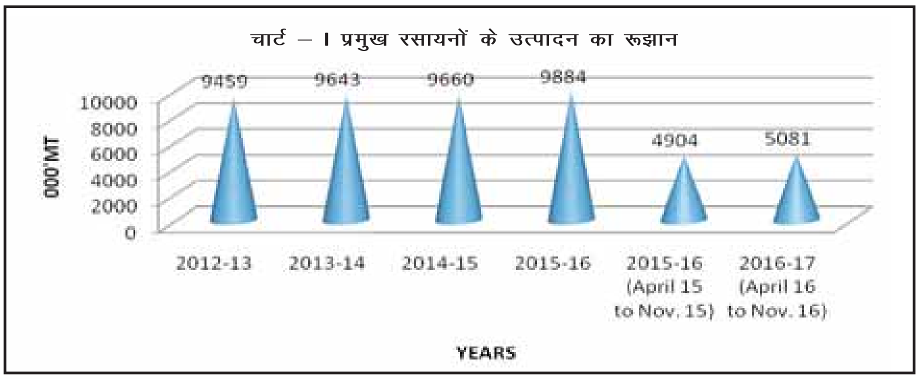

पेट्रोरसायन क्षेत्र – उत्पादन रूझान

2.6 पेट्रोरसायन जिसमें प्लास्टिक एवं अन्य रसायन शामिल हैं, पेट्रोरसायन को डाउनस्ट्रीम

हाइड्रोकार्बन कहा जाता है और यह कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है। पेट्रोरसायन श्रृंखला में मूल्य संवर्दधन संभावना के नए द्वार खोलता है और जरूरत के महत्वरपूर्ण क्षेत्रों जैसे वस्त्र एवं परिधान, कृषि, पैकिंग, अवसंरचना, स्वास्थ्य देखरेख, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, बिजली, इलेक्ट्रोनिक्स, दूरसंचार, सिंचाई, पेय जल, निर्माण एवं अन्य उपयोगी क्षेत्रों में तथा विशेष उपयोग के उभरते क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होता है।

2.7 देश में चार नाफ्था आधारित और तीन गैस आधारित क्रैकर कॉम्पलेक्स है, और इनकी समग्र इथाइलिन वार्षिक क्षमता 4.00 मिलियन मीट्रिक टन है। इसके अतिरिक्त, 4.45 मिलियन मीट्रिक टन की समग्र जाइलिन क्षमता के साथ छः एरोमेटिक परिसर हैं। साथ ही 1.7 मिलियन मीट्रिक टन संयुक्त प्रोपाइलीन क्षमता के साथ छः पेट्रोफ्लूयड कैटेलेटिक क्रैकिंग यूनिट हैं।

2.8 तालिका–II से यह देखा जा सकता है कि पॉलीमर का उत्पादन प्रमुख पेट्रो–रसायन के कुल उत्पादन का लगभग 59% है। वर्ष 2015–16 (नवंबर 2015 तक) प्रमुख पेट्रो–रसायन का उत्पादन 9725 हजार मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2016–17 (नवंबर, 2016 तक) में 10,423 हजार मीट्रिक टन है जोकि 7.2% की वृद्धि को दर्शाता है। प्रमुख पेट्रो–रसायनों के उत्पादन के रूझान को चार्ट–II में दर्शाया गया है–

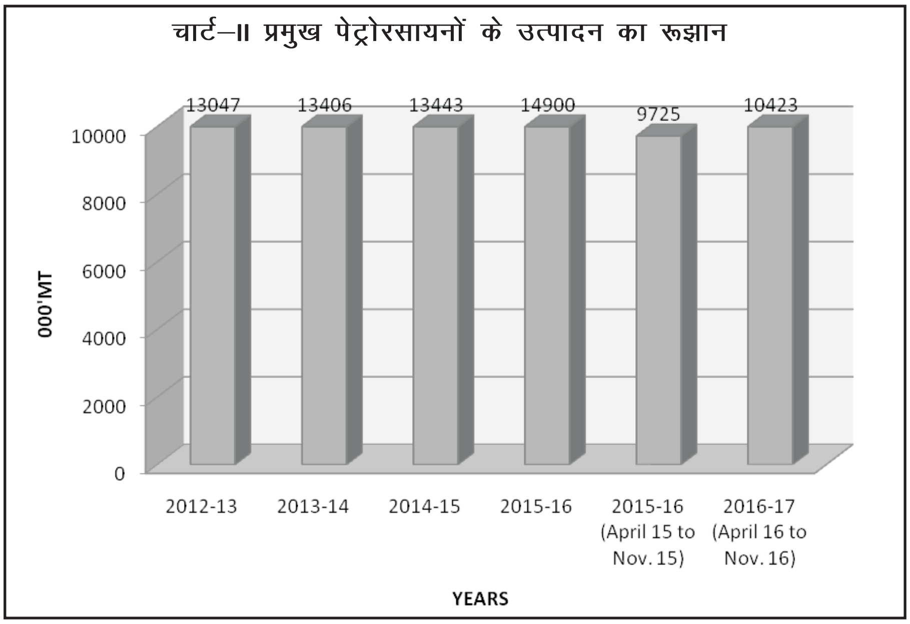

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

2.9 रसायन एवं रसायन उत्पादों का भार (एनआईसी 2004 का औद्योगिक खंड 24) औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक 1000 में 100.59 है (आधार वर्ष 2004–05)। सामान्य सूचकांक

नवंबर, 2016 के माह में 175.8 है जोकि नवंबर, 2015 के माह के स्तर की तुलना में 5.7% अधिक है। अप्रैल से नवंबर, 2016–17 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि, गत वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 0.4% है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक विनिर्माण क्षेत्र में नवंबर, 2016 माह के लिए औद्योगिक उत्पांदन सूचकांक 181.2 है जोकि नवंबर, 2015 माह के स्तर की तुलना में 5.5% अधिक है जबकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक रसायन एवं रसायन उत्पादों के लिए नवंबर, 2016 माह की तुलना में 139.5 है जोकि नवंबर, 2015 माह के स्तर की तुलना में 0.9% अधिक है। विनिर्माण क्षेत्र में संचयी वृद्धि वर्ष 2015–16 की संगत अवधि की तुलना में अप्रैल से नवंबर, 2016–17 में (–)0.3% थी जबकि रसायन एवं रसायनिक उत्पांद के संबंध में 2.6% थी। 2015–16 एवं 2016–17 (नवम्बर, 2016 तक) के दौरान आद्योगिक उत्पादन सूचकांक का माह–वार ब्यौरा तालिका–III में दिया गया है।

तालिका – III औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(आधार– 2004–05 = 100)

अवधि	रसायन तथा रसायनिक उत्पाद	विनिर्माण	सामान्य
भार	100.59	755.27	1000
अप्रैल–15	138.6	188.5	177.9
मई–15	144.4	187.3	179.7
जून –15	145.2	189.5	179.3
जुलाई –15	145.2	190.9	180.5
अगस्त –15	142.0	184.8	176.6
सितम्बर –15	147.5	186.9	178.2
अक्टूबर –15	144.6	188.1	181.4
नवम्बर –15	138.3	171.7	166.3
दिसम्बर –15	148.8	193.1	184.2
जनवरी –16	139.8	194.8	186.2
फरवरी –16	138.3	193.9	184.5
मार्च –16	148.8	208.1	198.7
अप्रैल–16	138.7	181.7	175.5
मई–16	149.4	188.7	182.0
जून –16	152.0	191.4	183.2
जुलाई –16	153.4	184.2	175.9
अगस्त –16	148.9	184.3	175.3
सितम्बर –16	146.4	188.5	179.4
अक्टूबर –16	147.0	183.6	178.1
नवम्बर –16	139.5	181.2	175.8

2.10 2009–10 से 2015–16 तक सामान्य आईआईपी एवं विनिर्माण के संबंध में आईआईपी की तुलना में रसायन और रासायनिक उत्पादों के आईआईपी का बर्ताव तालिका–IV और चार्ट–III में दर्शाया गया है।

तालिका – IV : औद्योगिक उत्पादन का वार्षिक औसत (अप्रैल–मार्च) सूचकांक

(आधार– 2004–05 = 100)

विवरण	भार	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
रसायन और रासायनिक उत्पाद	**100.59**	120.7	123.1	122.7	127.3	138.6	138.2	143.5
विनिर्माण उत्पाद	**755.27**	161.3	175.7	181.0	183.3	181.9	186.1	189.8
सामान्य	**1000**	152.9	165.5	170.3	172.2	172.0	176.9	181.1

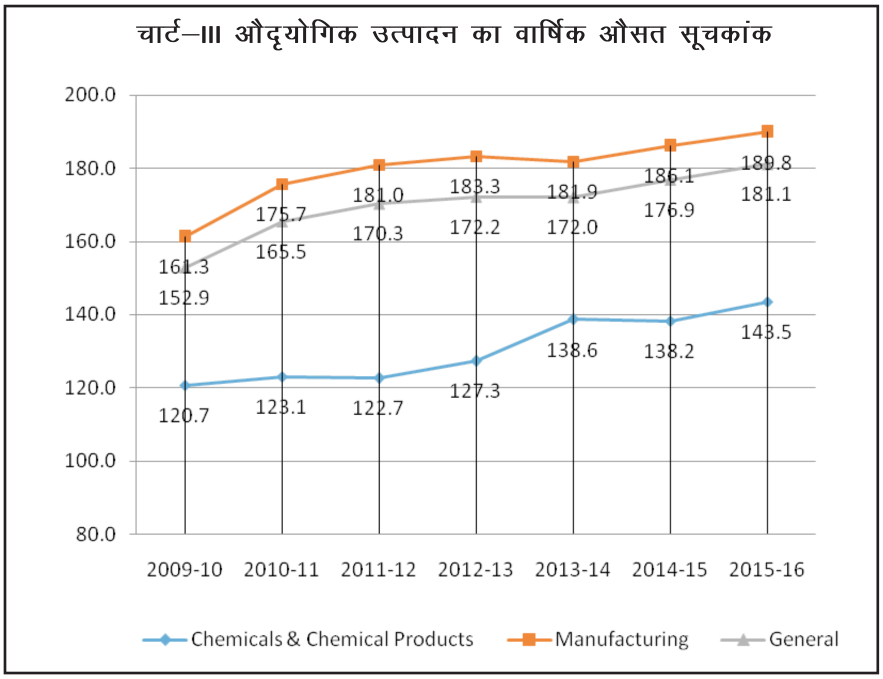

स्त्रोत : सांख्यकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 26–12–2016 की स्थिति के अनुसार डाटा http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/iip/IIP_timeseries_2004_05.htm

थोक बिक्री मूल्य, सूचकांक (डब्यूल्य पीआई)

2.11 'सभी उत्पादों' के लिए आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा जारी मासिक थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2004–05) के आधार पर वार्षिक मुद्रास्फीति की दर नवम्बर, 2015 की तुलना में नवम्बर, 2016 में 3.15% थी। इसी अवधि के दौरान, ''खाद्य पदार्थों'' के समूह के लिए सूचकांक में 1.54%, ''विर्निमित उत्पाद'' के लिए 3.2% और ''रसायन एवं रासायनिक उत्पाद'' समूह के लिए 0.47% की वृद्धि दर्ज की गई है। रसायन एवं रसायानिक उत्पादों का भार डब्ल्यूपीआई में सभी उत्पादों के 100 भार की तुलना में 12.02 है। अप्रैल, 2015 से नवम्बर, 2016 तक के दौरान डब्ल्यूपीआई का माहवार सूचकांक तालिका–V में दिया गया है।

तालिका – V थोक बिक्री मूल्य सूचकांक

(आधार– 2004–05 = 100)

माह	सभी उत्पाद	खाद्य पदार्थ	विनिर्माण उत्पाद	रसायन और रासायनिक उत्पाद
अप्रैल–15	176.4	253.1	153.9	151.1
मई–15	178.0	251.3	154.3	151.3
जून –15	179.1	257.9	154.2	151.5
जुलाई –15	177.6	255.6	153.6	151.4
अगस्त –15	176.5	262.6	153.0	151.2
सितम्बर –15	176.5	264.4	153.3	150.7
अक्टूबर –15	176.9	267.2	153.3	150.6
नवम्बर –15	177.5	271.9	153.0	150.1
दिसम्बर –15	176.8	272.0	152.4	149.8
जनवरी –16	175.4	268.7	152.7	149.5
फरवरी –16	174.1	260.5	153.2	149.5
मार्च –16	175.3	259.5	154.1	149.6
अप्रैल–16	177.8	265.0	155.5	150.1
मई–16	180.2	272.0	156.1	150.8
जून –16	182.9	280.0	156.2	151.0
जुलाई –16	184.2	287.8	156.6	151.0
अगस्त –16	183.3	285.9	156.8	150.7
सितम्बर –15	183.2	281.3	157.2	150.6
अक्टूबर –16	182.9	278.8	157.4	150.7
नवम्बर –16	183.1	276.1	157.9	150.8

स्रोतः आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय डाटा 26 जनवरी, 2016 को http//www.e-industry.nic.in से प्राप्त किया गया।

2.12 नीचे दी गई तालिका–VI और चार्ट–IV वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक के दौरान, सभी वस्तुओं, खाद्य पदार्थों और विर्निमित उत्पादों की तुलना में रसायन और रासायनिक उत्पादों के थोक मूल्य सूचकांक को दर्शाते हैं।

तालिका –VI : थोक बिक्री मूल्यों का वार्षिक औसत (अप्रैल–मार्च) सूचकांक

(आधार– 2004–05 = 100)

विवरण	भार	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सभी उत्पाद	**100.00**	143.32	156.13	167.62	177.64	181.19	176.67
खाद्य पदार्थ	**14.34**	179.63	192.74	211.82	238.85	253.38	262.06
विनिर्मित उत्पाद	**64.97**	130.07	139.51	147.06	151.46	155.12	153.42
रसायन और रसायन उत्पाद	**12.02**	124.04	134.72	143.64	148.85	152.78	150.52

चार्ट–IV रसायन और रासायनिक उत्पादों एवं अन्यथ सामग्रियों के थोक मूल्य सूचकांक

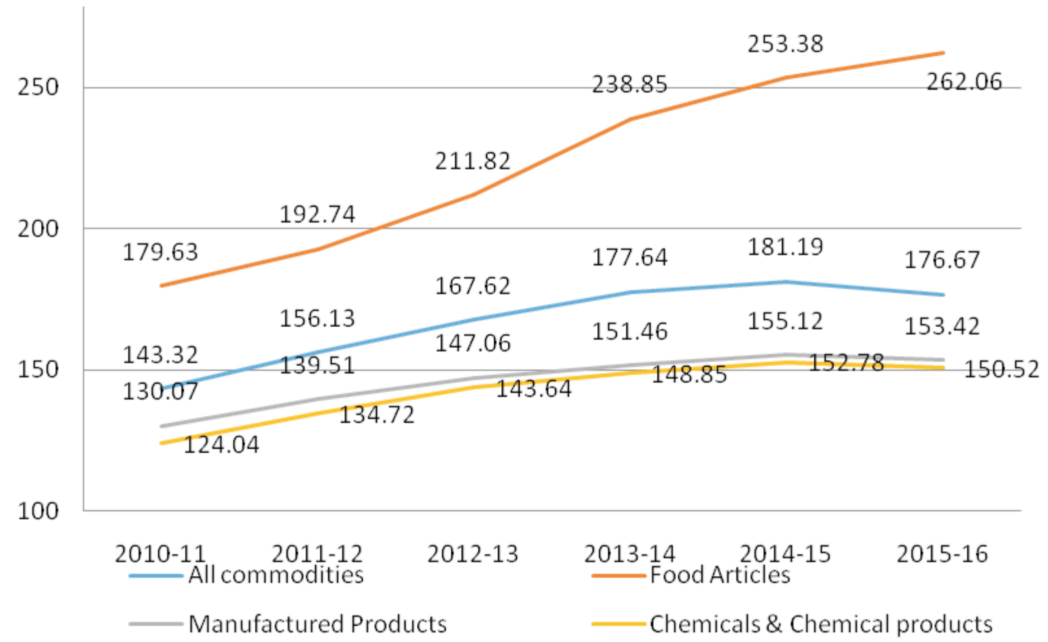

2.13 नीचे दी गई तालिका–VII वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक के दौरान रसायन एवं रासायनिक उत्पादों के अन्दर विभिन्न वस्तु समूहों के थोक मूल्य सूचकांक को दर्शाती है–

तालिका – VII : रसायन एवं रासायनिक उत्पादों का थोक मूल्य सूचकांक

विवरण	भार	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
रसायन और रासायनिक उत्पाद	12.02	124.04	134.72	143.64	148.85	152.78	150.52
मूल अकार्बनिक रसायन	1.19	126.26	138.24	147.78	150.63	156.13	155.27
मूल कार्बनिक रसायन	1.95	124.39	135.04	140.27	147.46	150.86	140.16
उर्वरक	2.66	116.80	132.58	149.01	152.28	154.91	158.18
कीटनाशक	0.48	113.62	114.85	121.16	125.94	135.73	137.72
पेंट, वार्निश एवं लेक्वर	0.53	122.64	128.48	143.59	147.63	149.92	152.22
डाइस्टफ एवं इंडिगो	0.56	116.34	122.47	126.92	132.59	144.78	141.94
दवाइयां	0.46	115.40	119.64	124.24	126.82	129.31	129.59
इत्र, श्रंगार, प्रशाधन आदि	1.13	138.52	145.34	151.94	157.27	160.67	163.19
टर्पेंनटाइन प्लास्टिक रसायन	0.59	123.43	136.06	140.02	147.59	156.40	154.10
सिंथेटिक रबर एवं पॉलिमर	0.97	123.37	130.38	135.33	142.82	152.32	146.03
पेट्रो–रसायन मध्यवर्ती	0.87	137.37	156.19	164.24	170.41	161.97	150.12
विस्फोटक एवं अन्य रसायन	0.63	128.72	135.45	142.60	149.84	153.49	153.88

स्त्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यक एवं उद्योग मंत्रालय डाटा 26 जनवरी, 2016 को http//www.e-industry.nic.in से प्राप्त किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

2.14 वर्ष 2012–13 से 2016–17 (सितम्बर, 2016 तक) के दौरान रसायन और रासायनिक उत्पादों (औषध उत्पादों और उर्वरकों के अलावा) के निर्यात और आयात का रूझान तालिका–VIII और चार्ट–V और VI में दिया गया है।

तालिका VIII : निर्यात और आयात–रसायन और रासायनिक उत्पाद (औषध उत्पादों और उर्वरकों के अलावा)

क. निर्यात (करोड़ रु. में)

एच एस कोड	उत्पाद	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2015–16 (सितम्बर 15 तक)	2016–17 (सितम्बर 16 तक)
	कुल राष्ट्रीय निर्यात	**1634318**	**1905011**	**1896348**	**1716378**	**858623**	**878318**
28	अकार्बनिक रसायन	7176	8258	8749	7913	3740	4051
29	कार्बनिक रसायन	65865	72860	73069	75325	37876	37469
32	टेनिंग या ड्राई	11372	15455	17206	16165	8103	8682
38	विविध रासायनिक उत्पाद	15545	18694	19432	20083	8973	9900
39	प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	28012	34154	31022	34339	16727	17410
4002	सिंथेटिक रबर एवं फेक्टिस	181	245	379	452	264	196
54	मानव र्निमित फिलामेंट	12112	15575	14621	13460	7148	6725
55	मानव र्निमित फाइबर	10565	12621	13334	13625	6704	6888
क : कुल रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद		150829	177862	177813	181361	89534	91321
कुल निर्यात में : अंश		9.2	9.3	9.4	10.6	10.4	10.4

चार्ट–V प्रमुख रसायनों एवं पेट्रोरसायनों के निर्यात का रूझान

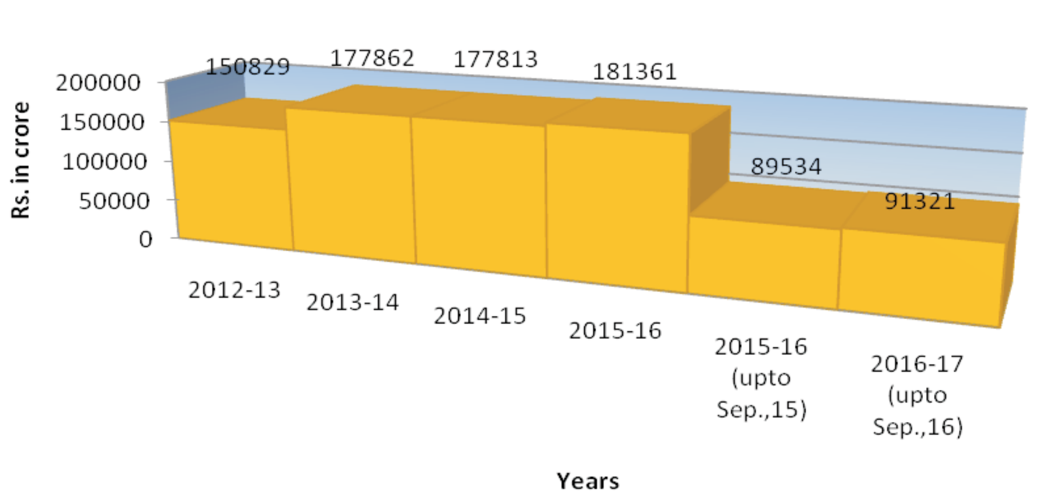

ख. आयात (करोड़ रु. में)

एचएस कोड	उत्पाद	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17 (सितम्बर 15 तक)	2016–17 (सितम्बर 16 तक)
	कुल राष्ट्रीय आयात	**2669162**	**2715434**	**2737087**	**2490298**	**1298646**	**1167856**
28	अकाबर्निक रसायन	28770	29063	31413	33170	16596	16743
29	काबर्निक रसायन	85439	103157	108320	101986	55298	50611
32	टेननिंग या ड्राई	8004	9254	9821	10467	5237	5327
38	विविध रसायनिक उत्पाद	20650	23107	25494	27207	14346	15411
39	प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	52283	61072	71398	74566	38566	39530
4002	मानव र्निमित फिलामेंट	7562	7339	6697	5205	2862	2915
54	मानव र्निमित स्टेपल फाइबर	4149	4597	5042	4879	2478	2470
55	कुल राष्ट्रीय आयात	3052	3722	4539	4401	2352	1896
ख : कुल रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद		209909	241311	262722	261880	137735	134903
कुल आयात में : अंश		7.9	8.9	9.6	10.5	10.6	11.6

चार्ट–VI प्रमुख रसायनों एवं पेट्रोरसायनों के आयात का रूझान

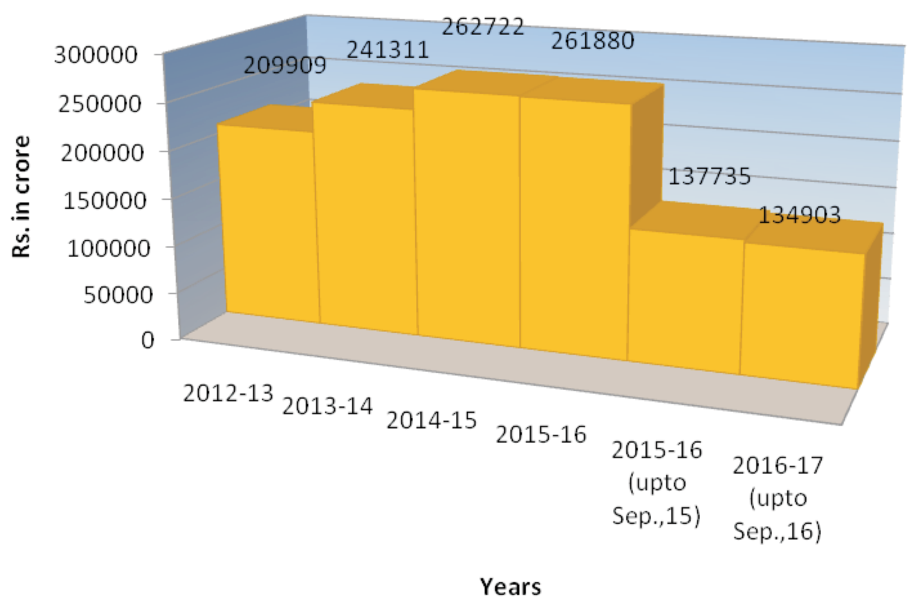

2.15 रसायनों और उत्पादों (औषध उत्पादों और उर्वरकों के अलावा) का आयात 2015–16 (सितम्बर, 2015 तक) में कुल आयात का 10.6% की तुलना में वर्ष 2016–17 (सितम्बर, 2016 तक) में यह 11.6% था और निर्यात 2015–16 (सितम्बर, 2015 तक) और 2016–17 (सितम्बर, 2016 तक) में 10.4% था।

*****

अध्याय–3

योजनागत स्कीमें

3.1 रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग की वृद्धि को सुगम बनाने में विभाग की प्रमुख भूमिका को देखते हुए इस विभाग में योजनागत स्जकीमों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश धीरे–धीरे बढ़ रहा है। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के संवर्दधन के लिए स्कीमों में योजनागत आवंटन एवं व्यय दोनों में बढ़ोतरी हो रही है। रसायन संवर्द्धन एवं विकास स्कीम (सीपीडीएस), प्लास्टिक पार्क एवं सेन्ट्रल इन्सटीट्यूट आफॅ प्लास्टिक इन्जीनियरिगं एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट), जो कि शैक्षणिक, प्रौद्योगिकीय सहयोग, अनुसंधान एवं कौशल विकास गतिविधियों में संलग्न है, जैसे स्कीमों के लिए आवंटन 12वीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत की तुलना में कई गुना बढ़ गया है।

3.2 असम गैस क्रैकर परियोजना का क्रियान्वयन लगभग 2.8 लाख मीट्रिक टन पॉलिमर प्रति वर्ष के उत्पादन के लिए मैसर्स ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लि. द्वारा किया जा रहा है। आर्थिक कार्य संबधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अंतिम स्वीकृत संशोधित लागत वर्ष 2011 में 8920 करोड़ रु. थी, जिसमें 4690 करोड़ रु. की पूंजीगत सब्सिडी, 2961 करोड़ रु. का ऋण तथा 1269 करोड़ रु. की इक्विटी शामिल है। परियोजना 2 जनवरी, 2016 को शुरू हो चुकी है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 फरवरी, 2016 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया।

3.3 समय सीमा में बढ़ोतरी, विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव, मूल्य में उतार–चढ़ाव, सांविधिक प्रशुल्कों में वृद्धि आदि के कारण परियोजना की लागत और समय में हुए विलंब को देखते हुए बीसीपीएल ने 8920 करोड़ रु. की परियोजना लागत की तुलना में 9965 करोड़ रु. की संशोधित परियोजना लागत के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। परियोजना लागत में 1045 करोड़ रु. की अनुमानित वृद्धि के प्रस्ताव को 549.45 करोड़ रु. की पूंजी सब्सिडी, 148.67 करोड़ रु. की इक्विटी और 346.88 करोड़ रु. के ऋण द्वारा वित्तपोषित किए जाने का प्रस्ताव है। संशोधित परियोजना लागत अनुमोदित हो गई है और 549.45 करोड़ रु. की पूंजी सब्सिडी के आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क किया गया है। वित्त मंत्रालय ने असम गैस क्रैकर परियोजना के लिए वांछित 549.45 करोड़ रु. में से बजट अनुमान 2017–18 के अंतर्गत 100 करोड़ रु का आवंटन किया है।

3.4 इसके अलावा, परियोजना को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए बीसीपीएल ने प्रारंभिक एक वर्ष के दौरान नकदी की कमी को पूरा करने के लिए 26 करोड़ रु. की राजस्व सब्सिडी और 15 वर्षों के लिए संयंत्र प्रचालन के रख–रखाव के लिए 10% की दर से न्यूनतम आंतरिक लाभ दर (आईआरआर) की वार्षिक समीक्षा के प्रावधान के साथ

प्राकृतिक गैस पर फीडस्टॉक सब्सिडी को सैद्धांतिक अनुमोदन का प्रस्ताव भी किया है। इस एवं अन्य मुद्दों जैसे पूर्वोत्तर में निकाले गए गैस पर इनकार के प्रथम अधिकार, नाफथा मूल्य आदि पर निर्णय के लिए एक पीआईबी नोट परिचालित किया जा रहा है।

योजनावार योजना परिव्यय (2016–17 के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान), 2015–16, 2016–17 के लिए व्यय एवं ब.अ. 2017–18 संबंधी परिव्यय निम्न तालिका में दिए गए हैं :

तालिका – IX : योजनावार परिव्यय

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान 2016–17	संशोधित अनुमान 2016–17	बजट अनुमान
I	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं			
1.	असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी)	0.02	0.01	100.01
2.	पेट्रोरसायन की अन्य नई योजनाएं	48.00	48.00	48.00
3.	रसायन संवर्धन एवं विकास योजना (सीपीडीएस)	5.00	1.99	1.99
4.	रसायनिक हथियार अभिसमय (सीडब्ल्यूसी)	1.01	0.00′	0.00′
	कुल	**54.03**	**50.00**	**150.00**
II	**अन्य केंद्रीय व्यय (सचिवालय/बीजीएलडी/एबीएस/पीएसयू)****			
1.	सचिवालय / आर्थिक सेवा	16.87 (गैर–योजना)	17.97 (गैर–योजना)	20.41
2.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	57.67	57.67	68.08
3.	इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फॉरमूलेशन टेक्नोलाजी(आईपीएफटी)	8.33	8.89 5.73 (योजना) + 3.16 (गैर–योजना)	9.16
4.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमि. टेड (एचओसीएल)	25.01	24.61 (गैर–योजना)	24.61
5.	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड लिमिटेड (एचआईएल)	15.01	0.00	0.00
6.	हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल)	0.01	0.00	0.00
7.	भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (बीजीएलडी)	25.11 (गैर–योजना)	23.86 (गैर–योजना)	25.74
	कुल	**148.01**	**133.00**	**148.00**
	कुल योग	**202.04**	**183.00**	**298.00**

***योजना रासायनिक हथियार अभिसमय राष्ट्रीय प्राधिकरण (एनएसीडब्लयूसी) को हस्तांतरित**

तालिका – X : 2015–16 एवं 2016–17 का व्यय (योजना)

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान 2015–16	संशोधित अनुमान 2015–16	व्यय 2015–16	संशोधित अनुमान के संबंध में व्यय का %	बजट अनुमान 2016–17	संशोधित अनुमान 2016–17	व्यय 2016–17 (31.01. 2017)	संशोधित अनुमान के संबंध में व्यय का %
1.	सचिवालय	1.00	0.80	0.61	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	पेट्रो–रसायन की नई योजनाएं	58.41	12.50	9.06	72.48	48.00	48.00	29.83	62.14
3.	असम गैस क्रैकर परियोजना (एजसीपी)	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
4.	रासायन संवर्धन एवं विकास योजना (सीपीडीएस)	1.90	3.90	2.80	71.79	5.00	1.99	0.71	35.67
5.	रसायनिक हथियार अभिसमय (सीडब्ल्यूसी)	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00*	0.00	0.00
6.	इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फॉरमूलेशन टेक्नोलाजी (आईपीएफटी)	1.00	1.00	1.00	100.00	8.32	5.73	5.73	100.00
7.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	92.68	107.68	107.68	100.00	57.67	57.67	57.67	100.00
8.	हिन्दुस्तान इंसेक्. टीसाइड लिमिटेड (एचआईएल)	10.00	10.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमि. कल्स लिमिटेड (एचओसीएल)	17.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
10.	हिंदुस्तान फ्लूरो. कार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल)	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		188.00	**141.89**	**122.15**	**86.09**	**160.00**	**113.40**	**93.94**	**82.84**

***योजना रासायनिक हथियार अभिसमय राष्ट्रीय प्राधिकरण (एनएसीडब्यूसी) को हस्तांतरित**

तालिका XI: व्यय 2015–16 और बजट अनुमान 2016–17 (गैर–योजना)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान 2015–16	संशोधित अनुमान 2015–16	व्यय 2015–16	संशोधित अनुमान के संबंध में व्यंय का %	बजट अनुमान 2016–17	संशोधित अनुमान 2016–17	31.01.2017 की स्थिति के अनुसार व्यय 2016–17	संशोधित अनुमान के संबंध में व्यय का %
1	सचिवालय	15.79	17.02	14.39	84.55	16.87	17.97	15.01	83.52
2	असम गैस क्रैकर परियोजना (एजसीपी)	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
3	रसायनिक हथियार अभिसमय (सीडब्ल्यूसी)	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
4	इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फॉरमूलेशन टेक्नोलाजी (आईपीएफटी)	3.70	4.05	3.33	82.22	0.01	3.16	0.00	0.00
5	हिन्दुस्तान इंसेक्टी साइड लिमिटेड (एचआईएल)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
6	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमि. कल्स लिमिटेड (एचओसीएल)	0.01	24.61	24.61	100.00	0.01	24.61	24.61	100.00
7	हिंदुस्तान फ्लूरो. कार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
8	भोपाल गैस रिसाव त्रासदी	47.64	27.18	25.22	92.79	25.11	23.86	20.52	86.00
	कुल	**67.18**	**72.88**	**67.55**	**92.69**	**42.04**	**69.60**	**60.14**	**86.41**

बजट अनुमानः 2016–17 (योजना एवं गैर–योजना) – 202.04 करोड़ रु.

संशोधित अनुमानः 2016–17 (योजना एवं गैर–योजना) – 183.00 करोड़ रु.

****

अध्याय – 4

पेट्रोलियम, रसायन, पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर)

PCPIR

पृष्ठभूमि

4.1 भारत सरकार ने इन क्षेत्रों में निवेश एवं औद्योगिक विकास को संवर्द्धित करने के लिए आंध्र प्रदेश (विशाखापट्टनम) गुजरात (दाहेज), ओडिशा (पाराद्वीप) एवं तमिलनाडु (कुड्डालोर एवं नागापट्टिनम) में चार पेट्रोलियम, रसायन, पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) की स्थापना को अनुमोदित किया।

4.2 पीसीपीआईआर की संकल्प के अनुसार पेट्रोलियम, रसायन, पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र में बड़े पैमाने पर समेकित एवं पर्यावरण अनुकूल रूप से क्लस्टर एप्रोच को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए अप्रैल, 2007 में पीसीपीआईआर नीति को विकसित किया।

4.3 प्रत्येक पीसीपीआईआर एक विशेष रूप से चिह्नित निवेश क्षेत्र हैं जिसका क्षेत्रफल लगभग (प्रोसेसिंग गतिविधियों के लिए चिह्नित क्षेत्र का लगभग 40) 250 वर्ग किमी. होगा। पीसीपीआईआर के लिए संपूर्ण क्षेत्रफल को अधिग्रहित करना संबंधित राज्य सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है बल्कि उन्हें संबंधित क्षेत्रीय योजना एवं क्षेत्रीय कानून के अधीन क्षेत्र को अधिसूचित करना होगा।

4.4 राज्य सरकार पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) कराएगी तथा परियोजना क्रियान्वयन का नेतृत्व करेगी। भारत सरकार जहां तक संभव होगा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के जरिए रेल, सड़क, पोर्ट, एयर पोर्ट तथा दूरसंचार आदि के माध्यम से पीसीपीआईआर में बाह्य भौतिक ढांचागत विकास सुनिश्चित करेगी। केन्द्र सरकार इन संर्पकों के सृजन के लिए बजटीय सहायता के साथ व्यवहार्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) के माध्यम से ऐसी परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन भी प्रदान करेगी।

4.5 नीति में प्रत्येक पीसीपीआईआर में एंकर टीनेंट के रूप मे एक रिफाइनरी/पेट्रोरसायन फीड स्टॉक कंपनी होने का प्रावधान है।

4.6 संपर्कों के समन्वय के लिए एक नोडल विभाग या एजेंसी को अधिसूचित किया जाएगा। प्रत्येक पीसीपीआईआर के लिए संगत विधान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित प्रबंधन निकाय पीसीपीआईआर के विकास एवं प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा।

4.7 वर्तमान में चार तटीय राज्यों गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं तमिलनाडु में पीसीपीआईआर की स्थापना की जा रही है।

4.8 एक बार पूरी तरह स्थापित हो जाने के पश्चात, इन पीसीपीआईआर में लगभग 7.63 लाख करोड़ रु. के निवेश होने की संभावना है। दिनांक 30.09.2016 की स्थिति के अनुसार इन क्षेत्रों में लगभग 1.73 लाख करोड़ रु. के मूल्य का निवेश हो चुका है। पीसीपीआईआर में लगभग 61,000 करोड़ रु. मूल्य के अवसंरचना सृजित होने की संभावना है। चार पीसीपीआईआर में लगभग 34 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित होने की संभावना है। 30.09.2016 की स्थिति के अनुसार, पीसीपीआईआर से संबंधित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष गतिविधियों के फलस्वरूप 2.73 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

4.9 इन परियोजनाओं के क्रियान्व्यन की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार हैः

संकेतक	गुजरात	आंध्र प्रदेश	ओड़ीसा	तमिलनाडू
स्थान/क्षेत्र	दाहेज, भारुच	विशाखापट्टनम – काकीनाडा	पाराद्वीप	कुड्डालोर – नागापट्टिनम
अनुमोदन की तिथि	फरवरी, 2009	फरवरी, 2009	दिसम्बर, 2010	जुलाई, 2012
समझौता ज्ञापन की तिथि	07.01.2010	01.10.2009	03.11.2011	20.02.2014
कुल क्षेत्र (वर्ग किमी.)	453.00	603.58	284.15	256.83
प्रसंस्क.रण क्षेत्र (वर्ग किमी.)	248.00	270.00	123.00	104.00
एंकर टीनेंट	ओएनजीसी पेट्रोलियम एडीशन लि.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (एचपीसीएल)	इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. (आईओसीएल)	नागार्जुन ऑयल कॉरपोरेशन लि. (एचओसीएल)
रिफाइनरी/क्रैकर क्षमता एमएमटीपीए में	क्रैकर : इथाइलीन : 1.1 प्रोपाइलीन : 0.6	9.3 से 15 (वर्तमान रिफाइनरियों का विस्तार) 15 (ग्रीनफील्ड)	15 (ग्रीनफील्ड रिफाइनरी)	12 (रिफाइनरी)
एंकर परियोजना स्थिति	पॉलिप्रोपाइलीन इकाई चालू	ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए एंकर टीनेंट बोर्ड में अभी आना है।	फरवरी, 2016 से प्रारंभ	2011 से निर्माण कार्य रोक दिया गया

अनुमोदित अवसंरचना परियोजनाओं की कुल राशि (करोड़ रु. में)*	15436	19031.00	13634.00	13354.00
वीजीएफ के रूप में भारत सरकार का अंश दान (करोड़ रु. में)*	80.50	1206.80	716.00	1143.00 (बजटीय सहयोग 1500)
प्रस्तावित निवेश (करोड़ रु. में)	50,000	3,43,000	2,77,734	92,500
किया गया निवेश (करोड़ रु. में)	82,825	37,010	45,000	8,100
संभावित रोजगार (संख्या)	8,00,000	11,98,000	6,61,354	7,37,200
सृजित रोजगार (संख्या)	1,28,000	93,500	38,000	13,950
मास्टर प्लाानिंग अधिसूचना की स्थिति	विकास योजना अनुमो. दित	क्षेत्र अध्ययन, गांव के स्तर के विचार–विमर्श को अंतिम रूप दिया गया। एंकर इकाई के पूरा हो जाने के बाद मास्टर प्लान पूरा हो जाएगा।	मास्टर प्लान योजना की तैयारी जारी है	पीसीपीआईआर प्रबंधन बोर्ड के गठन के पश्चात इसे शुरू किया जाएगा
ईआईए की स्थिति	ईआईए अंतिम रिपा. `र्ट पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है और शीघ्र ही मंजूरी मिलने की आशा है।	पर्यावरण मंजूरी, ईआईए अध्ययन, डाटा आदि का संग्रह पूरा किया जा चुका है। पर्यावरण क्लीयरेंस मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने के बाद शुरू किया जाएगा।	ईआईए अध्ययन ईपी. टीआरआई द्वारा किया जा रहा है	पीसीपीआईआर प्रबंधन बोर्ड के गठन के पश्चात इसे शुरू किया जाएगा

* परियोजनाओं के अनुमोदन के स्तर पर

पीसीपीआईआर क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति

1. गुजरात पीसीपीआईआरः

- गुजरात पीसीपीआईआर को गुजरात विशेष निवेश क्षेत्र (जीएसआईआर) अधिनियम, 2009 के अधीन अधिसूचित किया गया है। यह दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) के पूर्व और भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र के निकट रणनीतिक रूप से अवस्थित है।

- गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (जीआईडीसी) ने पीसीपीआईआर में अवसंरचना के प्रावधान के लिए लगभग 15,714 करोड़ रु. (30.09.2016 तक) खर्च किया है।

- एंकर टीनेंट यथा मैसर्स ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड (ओपल) ने परियोजना पर लगभग 26,477 करोड़ रु. खर्च किए हैं।

- पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) संबंधी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एन्ड सीसी) की वेबसाइट पर 07 सितंबर, 2015 को अपलोड कर दी गई है। गुजरात पीसीपीआईआर संबंधी परियोजनाओं पर एमओईएफ एन्ड सीसी द्वारा 160वीं पर्यावरण मूल्यांकन समिति (ईएसी) बैठक में 28 जून, 2016 को विचार किया गया।

- श्री मनसुख लाल मांडविया, रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री ने अक्टूबर, 2016 में ओपल पेट्रो रसायन परिसर का दौरा किया और जारी कार्यों की समीक्षा की।

2. **आंध्र प्रदेश पीसीपीआईआरः**

- पीसीपीआईआर के क्रियान्वयन के लिए मई, 2008 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विशेष विकास प्राधिकरण (एसडीए) का गठन किया गया था।

- आंध्र प्रदेश पीसीपीआईआर में 6 मौजूद एसईजेड शामिल हैं। इन इकाइयों में लगभग 35,000 करोड़ रु. से अधिक का निवेश किया जा चुका है। अवसंरचना विकास पर लगभग 1850 करोड़ रु. का निवेश किया गया है।

- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) पीसीपीआईआर में काकीनाडा एसईजेड में क्रैकर काम्प्लेक्स की स्थापना के लिए पूर्व व्यावहार्यता अध्ययन करा रहा है।

- सड़क, रेल संपर्क, जलापूर्ति, निःस्सारी शोधन एवं समुद्री आउटफाल परियोजनाएं अध्ययन से क्रियान्वयन के बीच के विभिन्न चरणों में हैं।

3. **ओडिशा पीसीपीआईआरः**

- पीसीपीआईआर प्राधिकरण द्वारा पीसीपीआईआर क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए

विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ ओडिशा (आइडीसीओ) को क्षेत्र के मास्टर प्लान को तैयार करने के लिए परामर्शदाता चुना गया है। विस्तृत मास्टर योजना का प्रारूप 2017 के अंत तक पूरा होने की सम्भावना है।

- इन्डियन ऑयल कारपोरेशन की पाराद्वीप में 15 एममीट्रिक टनपीए रिफाइनरी को फरवरी, 2016 में शुरू किया गया है। आईओसीएल 730 केटीए पोलीप्रोपाइलीन इकाई स्थापित कर रहा है, जिसके 2017 में शुरू होने की सम्भावना है।
- सड़क एवं राजमार्ग, बंदरगाह, हवाई अड्डा, विद्युत् संयत्र, निःस्सातरी शोधन एवं डिसेलिनेशन संयत्र जैसी अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के लिए 11,403 करोड़ रु. का निवेश किया गया है जो कि अध्ययन से क्रियान्वयन के बीच के विभिन्न चरणों में हैं।
- विस्तृत ईआईए संबंधी कार्य पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (ईपीटीआरआई) द्वारा किया जा रहा है। यह अध्ययन विस्थापितों की वास्तविक संख्या सुनिश्चित करेगी। तदनुसार, ओडिशा रिसेटलमेंट एन्ड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, 2006 के अनुसार पुनर्वास कार्य शुरू की जाएगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समक्ष प्रपत्र एवं आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं।

4. तमिलनाडु पीसीपीआईआरः

- तमिलनाडु टाउन एन्ड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1971 के अन्तर्गत कुड्डालोर जिले के कुड्डालोर एवं चिदंबरम तालुका और नागपट्टिनम जिला के सिरकाजी एवं तरंगमवाड़ी गाँवों के 45 गाँवों में 24692 हेक्टेयर क्षेत्र को पीसीपीआईआर के रूप में जनवरी, 2016 में अधिसूचित किया गया है।
- एंकर टीनेंट नागार्जुन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (एनओसीएल) परियोजना के प्रथम चरण के शुरू होने की तिथि को वित्तीय बाधाओं के कारण बढ़ा दी गई है।
- जिला स्तर पर अधिसूचित करने की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही तमिलनाडु पीसीपीआईआर को अंतिम रूप से अधिसूचित किया जाएगा। तत्पश्चात, राज्य सरकार द्वारा तमिलनाडु टाउन एन्ड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1971 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा तमिलनाडु पीसीपीआईआर के लिए स्थानीय नियोजन क्षेत्र प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। पीसीपीआईआर के विकास के लिए तमिलनाडु पीसीपीआईआर प्रबंधन बोर्ड का गठन भी किया जाएगा।

पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) नीति में संशोधन

चार अनुमोदित पीसीपीआईआर में विनिर्माण को बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए पीसीपीआईआर नीति 2017 में संशोधन किया गया है।

****

अध्याय – 5

पेट्रोरसायनों के लिए नई स्कीमें

राष्ट्रीय पेट्रोरसायन नीति के अधीन तीन निम्न लिखित योजनाओं को रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है :

i. पेट्रोरसायन एवं डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग में प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार
ii. पॉलिमर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना
iii. प्लास्टिक पार्कों की स्थापना

5.1. पेट्रोरसायन एवं डाउनस्ट्रींम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग में प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

5.1.1. पेट्रोरसायन एवं डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में मेधावी नवाचारों एवं खोजों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार योजना को वर्ष 2011–12 से विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिंक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी (सिपेट) को योजना के लिए नामंकन का चयन करने और लक्ष्य को पूरा करने का कार्य सौंपा गया है। विभाग इस पुरस्कार स्कीम को चलाने के लिए प्रत्येक वर्ष सिपेट को लगभग एक करोड़ रु. की अनुदान सहायता प्रदान कर रहा है।

5.1.2. प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार नवोन्मेषण के लिए आठ श्रेणियों जैसे पॉलिमेरिक सामग्री, पॉलिमेरिक उत्पादों, पॉलिमर अपशिष्ट प्रबंधन, पुनरूचक्रण प्रौद्योगिकी एवं संबंधित क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी में तीन उप श्रेणियों यथा (i) व्यक्तिगत/दल (ii) उद्योग एवं (iii) आरएंडडी संस्थान में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक श्रेणी के लिए पुरस्कार राशि 2 लाख रु. हैं। प्रौद्योगिकी नवोन्मेकषण के लिए छठे राष्ट्रीय पुरस्कार 2015–16 के लिए स्कीम की इन श्रेणियों एवं उप–श्रेणियों के लिए 264 नामांकन प्राप्त हुए थे जिनमें से 17 विजेताओं और 14 उपविजेताओं को पुरस्कांरों के लिए चयन किया गया और विजेताओं को दिनांक 20.01.2016 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) द्वारा पुरस्कृत किया गया।

- प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण – 2016–17 के 7वें राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए कुल 415 नामांकन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 16 विजेताओं एवं 14 उप–विजेताओं का चयन एवं अनुमोदित किया गया है। पुरस्कार वितरण समारोह मार्च, 2017 में आयोजित की जानी है।

5.2. पॉलिमर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) की स्थापना

5.2.1. **11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई** इस स्कीम का लक्ष्य देश में मौजूदा पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी व अनुसंधान में सुधार करना तथा पॉलीमर व प्लास्टिक में नए प्रयोग के विकास को संवर्द्धित करना है। विभाग ने प्रतिष्ठिॉ शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों के परिसर में 5 उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) की स्थापना की है :

i. राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला (एनसीएल), पुणे – अनुसंधान, नमोन्मेषण और प्रशिक्षण (सीईओ–एसपीआईआरटी) के माध्यम से सतत् पॉलीमर उद्योग के लिए उत्कृष्टता केन्द्र;

ii. सेन्ट्रल इन्स्टीटयूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई – हरित परिवहन नेटवर्क के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (ग्रीट);

iii. आईआईटी, दिल्ली में एडवांस पॉलीमीरिक मेटीरियल के लिए उत्कृष्टता केन्द्र

iv. सिपेट भुवनेश्वर में – सतत् हरित सामग्री पर उत्कृष्टता केन्द्र और

v. आईआईटी, गुवाहाटी में सतत् पॉलीमर के लिए उत्कृष्टता केन्द्र।

5.2.2. एनसीएल, पुणे एवं सीओई, सिपेट, चेन्नई को 11वीं पंचवर्षीय येाजना के दौरान और शेष तीन उत्कृष्टता केन्द्रों को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमोदित किया गया था।

5.2.3. एनसीएल, पुणे में सीओई – स्पिंरिट के अधीन सृजित परिसंपत्तियों के परिणामस्वरूप न केवल पॉलिमर विज्ञान में समकालीन अनुसंधान में वृद्धि हुई है, बल्कि पॉलीमर उद्योग एवं शिक्षा क्षेत्र के कई सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। सिपेट, चेन्नई में सीओई – ग्रीट और सिपेट, भुवनेश्वर में सतत् हरित सामग्री संबंधित उत्कृष्टता केन्द्र के मामले में, सिपेट, इंडिया एवं टोरंटो विश्वविद्यालय, कनाडा तथा मिसिगन स्टेट यूनिवरसिटी, यूएसए के बीच भागीदारी के माध्यम से शैक्षणिक, अनुसंधान एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता के रूप में परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। आईआईटी, दिल्ली और आईआईटी, गुवाहाटी में क्रमशः एडवांस्ड पॉलीमेरिक मैटीरियल और सस्टेनेबल पॉलीमर में अनुसंधान कार्यकलापों को आगे बढ़ाने लिए संसाधनों और क्षमताओं को सुदृढ़ किया जा रहा है।

5.2.4. भारत सरकार परियोजना को अधिकतम कुल लागत का 50% की सीमा तक 6 करोड़ रु. की कीमत तक की अधिकतम वित्तीय सहायता तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रदान करती है। इस स्कीम के लिए वर्ष 2016–17 के लिए 2 करोड़ रु. का परिव्यय प्रदान किया गया है। आईआईटी, दिल्ली को नवंबर, 2016 में 2 करोड़ रु. की तीसरी किश्त जारी कर दी गई है और इसके साथ ही सभी सीओई को भारत सरकार की ओर से 6 करोड रु. की संपूर्ण अनुदान राशि संवितरित की दी गई है।

5.3 प्लास्टिक पार्कों की स्थापना

5.3.1. स्कीम का लक्ष्य घरेलू डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग की क्षमताओं को समेकित एवं एकीकृत करने के लिए क्लास्टर विकास एप्रोच के माध्यम से अत्याधुनिक अवसंरचना एवं सक्षम एक समान सुविधाओं वाले एक इको–सिस्टम के रूप में आवश्यकता आधारित प्लास्टिक पार्क की स्थापना है। इस स्कीम का वृहद लक्ष्य इस क्षेत्र में निवेश, उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ा कर एवं रोजगार सृजित कर अर्थव्यवस्था में योगदान करना है।

5.3.2. इस स्कीम के अधीन प्रति परियोजना 40 करोड़ रु. की सीमा तक परियोजना लागत के 50% तक का अनुदान भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। शेष परियोजना लागत राज्य। सरकार का राज्य औद्योगिक विकास निगम या राज्य सरकार की ऐसी एजेंसियों, लाभार्थी उद्योग द्वारा वित्त् प्रदान किया जाता है।

5.3.3. प्रथम चरण में 10 प्लास्टिक पार्क अनुमोदित किये गए हैं जिनमें से मध्य प्रदेश, ओडिशा असम में प्लास्टिक पार्क क्रियान्वयन अधीन हैं। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले के पोनेरी तालुक के वोयालपुर गाँव में प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए अंतिम अनुमोदन जून, 2016 को प्रदान किया गया है और तमिलनाडु प्लास्टिक पार्क एजेंसी के साथ 24 नवम्बर 2016 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।

5.3.4. इसके अतिरिक्त शेष 6 प्लाटिक पार्कों यथा (i) देवीपुर, जिला देवघर, झारखण्ड, (ii) बिलौआ, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश, (iii) खैरझिटी, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, (iv) सितारगंज, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखंड, (v) इंडस्ट्रियल एस्टेट, जिला पानीपत, हरियाणा एवं (vi) बरजोरा, जिला बांकुरा, पश्चिम बंगाल में स्थापित करने के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्यों से अतिरिक्त मांग को देखते हुए 8 और प्लास्टिक पार्कों (पूर्व में अनुमोदित 10 प्लास्टिक पार्कों के अतिरिक्त) की स्थापना को सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस पहल से "मेक इन इण्डिया" कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा और प्रचुर मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

5.3.5 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान जनवरी 2016 तक, विभाग ने मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एमपीपीपीडीसीएल) को रायसेन जिले के गोहरगंज तहसील के तामोट गाँव में प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए 11.39 करोड़ रु. (दूसरी किस्त के रूप में) और 5 करोड़ रु. (तीसरी किस्तो के रूप में) की राशि जारी की गई है। इसी तरह ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के कुजंग तहसील, सिजु गाँव में प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए पारादीप प्लास्टिक पार्क लिमिटेड (पीपीपीएल) को 10.22 करोड़ रु. (दूसरी किस्त के रूप में) की राशि जारी की गई है। तमिलनाडु में प्लास्टिक पार्क के लिए 3.89 करोड़ रु. की राशि संस्तुत की गई है और जारी की जा रही है।

*****

अध्याय – 6

अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं संधियां

रासायनिक हथियार अभिसमय (सीडब्ल्यूसी)

6.1 भारत रासायनिक आयुध निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू), जिसका मुख्यालय दि हेग, नीदरलैंड में है, के रासायनिक आयुध अभिसमय (सीडब्ल्यूसी) का पक्षकार एवं हस्ताक्षरी है। यह समझौता सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण, बहुपक्षीय, निशस्त्रीकरण समझौता है जो दुनिया को रासायनिक हथियारों से मुक्त करने की दिशा में रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भडारण एवं उपयोग को रोकता है तथा इन्हें खत्म करने के लिए निगरानी करता है। भारत ने जनवरी 1993 के 14वें दिवस को इस समझौते पर पेरिस में हस्ताक्षर किया। इस अभिसमय के प्रावधानों के अनुसरण में रासायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम, 2000 अधिनियमित किया गया। आज की स्थिति के अनुसार, 192 देश इस अभिसमय के पक्षकार देश हैं। रसायन एवं पेट्रो रासायन विभाग सीडब्ल्यूसी अधिनियम, 2000 के लिए प्रशासनिक विभाग है।

रोटरडैम कन्वेशन

6.2 पीआईसी यानी पूर्व सूचना सहमति प्रक्रिया पर रोटरडैम कन्वेशन 24 फरवरी, 2004 से लागू हुआ जो कि कानूनी रूप से बाहर है, को रोटरडैम में प्लेनिपोटेनटरिज सम्मेलन में 10 सितम्बर, 1998 को अपनाया गया। भारत ने 24.5.2006 को अपनी सहमति दी।

6.3 इन कन्वेंशन का लक्ष्य जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ खतरनाक रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित पक्षों के बीच साझा उत्तरदायित्व एवं सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देना है। यह खतरनाक रसायनों के आयात–निर्यात के बारे में राष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया की व्यवस्था करके उनकी विशेषताओं के बारे में सूचना के आदान– प्रदान को सुगम बना कर तथा पार्टियों को इन निर्णयों की जानकारी देकर पर्यावरणीय रूप से इनके सुरक्षित उपयोग में भी योगदान देना चाहता है।

6.4 33 पेस्टीसाइडों, 4 अत्यन्त खतरनाक पेस्टीसाइड फार्मूलेशनों और 14 औद्योगिक रसायनों सहित समझौते के अनुबंध–III में 47 रसायन सूचीबद्ध और पीआईसी प्रक्रिया के अध्यधीन है। पार्टियों से अपेक्षा की जाती है कि वे पीआईसी सचिवालय को इन रसायनों से

सम्बन्धित अपनी आयात नीति की जानकारी दें। निर्यातक पक्ष को आयातक देश में प्रतिबंधित और सख्ती से सीमित रसायनों के सम्बन्ध में आयातक पक्ष को निर्यात अधिसूचना प्रदान करनी पड़ती है। औद्योगिक रसायनों के लिए अन्य पक्षों से प्राप्त निर्यात अधिसूचनाओं की रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, जो रसायन के लिए डीएनए है, द्वारा जांच की जाती है और निर्यातक देश के डीएनए को पावती/उत्तर भेजा जाता है।

स्टाकहोम समझौता

6.5 स्टॉक होम समझौता को भारत ने 13.01.2006 को इस समझौते की अभिपुष्टि की जो स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपीज) से जन स्वास्थ्य और पर्यावरण को बचाने की वैश्विक संधि है। पीओपीज ऐसे रसायन हैं जो लम्बी अवधि के लिए पर्यावरण में अक्षुण्ण रहते हैं, भौगोलिक रूप में व्यापक रूप से संवितरित हो जाते हैं, सजीवों के वसायुक्त टिश्यू में जमा हो जाते है और मनुष्यों तथा वन्य जीवों के लिए जहरीले होते हैं। पीओपीज विश्वभर में फैल सकते हैं और ये जहॉ कहीं भी जाएंगें, नुकसान पहुंचा सकते हैं। समझौते में यह निर्धारित किया गया है कि इसके क्रियान्वयन में सरकारों को पर्यावरण में पीओपी के निर्गम को समाप्त करने या कम करने का उपाय करना होगा। यह समझौता 17 मई, 2004 को लागू हुआ।

****